



# मध्यप्रदेश राज्यपाल

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 370]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 सितम्बर 2015—भाद्र 18, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

घोषणा

(नियम-6)

क्र. एफ 21-06-2015-एक-10.—यतः; यह अभिकथित किया गया है कि डॉ. विनोद लहरी, शल्य क्रिया विशेषज्ञ, शासकीय चिकित्सालय, नागदा, जिला उज्जैन ने मध्यप्रदेश राज्य में शल्य क्रिया विशेषज्ञ, शासकीय चिकित्सालय, नागदा, जिला उज्जैन का पद धारण करते हुए प्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) ई, 13 (2) एवं धारा 120 (बी) भा. द. वि. के अधीन अपराध किया है और अपराध क्रमांक 27/2012 धारा 13 (1) ई., 13 (2) भ्र. नि. अ. 1988 एवं धारा 120 (बी) भा. द. वि. सन् 2011-12 को मामलों का अन्वेषण किया गया है।

और, यतः; अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर, राज्य सरकार की राय है कि डॉ. विनोद लहरी पर जिसने प्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अपनी आय के ज्ञात स्त्रोत से अननुपातिक संपत्तियां संचित की हैं, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण बनता है।

और, यतः; राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक और समीचीन समझा गया है कि उक्त अपराधी पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए।

अतएव, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

स्थान : भोपाल

तारीख : 09 सितम्बर 2015

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश कौल, उपसचिव।